निगम जे.ई.एन और पार्षद पर लगाया मिलीभगत का आरोप

पुलिस प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, जांच की मांग

अजमेर, (कासं)। नगर निगम के वार्ड संख्या 79 के पार्षद वीरेंद्र वालिया व निगम की जेईएन पर मिली भगती का आरोप लगाते हुए भूखंड पर कब्जे करने के मामले को लेकर सोमवार को पीडित् दिनेश खंडेलवाल के समर्थन में आए खंडेलवाल समाज के प्रतिनिधियों ने एएसपी (शहर) दुर्ग सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर भाजपा से निष्कासित पार्षद और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमे में निष्पक्ष कार्यवाही करते गिरफ्तार करने की मांग की है, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दूसरी ओर पार्षद वालिया भी अपने समर्थक भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने भी एएसपी को ज्ञापन सौंपकर अपना पक्ष रखा।

वैश्य समाज के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पीडित् दिनेश खंडेलवाल के साथ सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे, यहां उन्होंने एएसपी (सिटी) दुर्ग सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रतिनिधियों और पीडित् दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि ठाम चौरसियावास खसरा नंबर 1556 रकबा 1 बीधा 12 बिस्वा भूमि वर्तमान में अभियंता नगर में है। इस भूखंड के पास नाले के पास खाली जमीन पर प्लॉट बनाकर बेचे गए हैं, नाले को उनकी क्रयशुदा भूखंड पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में एक प्रकरण सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष चला, लेकिन वाद खारिज कर दिया गया। खंडेलवाल का आरोप है कि पार्षद वालिया उनकी जमीन पर कब्जा करने की नियत से उन पर दबाव बना रहा है।

खंडेलवाल समाज के प्रतिनिधियों ने एएसपी को ज्ञापन सौंपा

पीडित् के साथ की मारपीट:

समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि पीडित् दिनेश खंडेलवाल के साथ 28 सितंबर को निगम जेईएन कामना रावत, सफाई निरीक्षक और जमादार की आड़ लेकर पार्षद वालिया ने मारपीट की। इसका एक वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समाज के लोगों ने बताया कि पार्षद ने दिनेश के भूखंड की दीवार जेसीबी से गिराकर मलवे को नाले में गिरा दिया था, जब वह मौके पर पहुंचे तो पार्षद गाली गलोज करते हुए मारपीट करने लगा।

जमीन छोड़ों या पचास लाख रुपए दो: पीडित् दिनेश खंडेलवाल मामले में पार्षद वालिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जिसमें उसने बताया कि उसके पिता शंकर खंडेलवाल ने 1973 में लायंस क्लब के पीछे जमीन खरीदी थी। उनके निधन के बाद पुत्र दिनेश व आशीष का इस जमीन स्वामित्व है। पार्षद वीरेंद्र वालिया उसे लंबे समय से धमका रहा है की जमीन बेच फिर 50 लाख रुपए दो, वरना यहां पर रखना नहीं दूंगा। दिनेश ने आरोप लगाया की वालिया ने नगर निगम अधिकारी से मिली भगत कर जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल तुड़वा दी। वालिया द्वारा नाले की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत कई बार की गई।

निगम अधिकारियों की आड़ : समाज के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने निगम आयुक्त देशल दान से भी मुलाकात कर जांच की मांग करते हुए कहा कि प्रकरण में निगम अधिकारी जेईएन कामना रावत की भूमिका संदेह के घेरे में हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।

सांस्कृतिक रक्षा मंच में सौंपा ज्ञापन

अजमेर, (कासं)। सांस्कृतिक रक्षा मंच ने सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) दुर्ग सिंह राजपुरोहित से मुलाकात कर गरबा रास में फूहड़ता बंद करने की मांग की है। सौंपे ज्ञापन में प्रतिनिधियोंने मांग की है कि इवेंट कंपनियां डांडियों के नाम पर भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, ऐसे में इन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। मंच के पदाधिकारी पृथ्वीराज सिंह ने बताया कि 3 अक्टूबर से नवरात्रा स्थापना होने जा रही है, नवरात्रा में जगह-जगह डांडियारास का आयोजन किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से सामने आया है कि इवेंट कंपनियां दो से चार दिन का आयोजन कर भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास करती है। इन आयोजनों में कुछ असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें रोकने के लिए आयोजन स्थलों पर आने वाले लोगों का तिलक लगा और गंगाजल का छिडकाव कर ही प्रवेश दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि गरबा में न तो फिल्मी गीत बताए जाए और न ही महिलाएं, बालिकाएं अश्लील कपड़े पहने। नवरात्र पर्व तो शक्ति की आराधना का पर्व है जो संस्कृति के अनुरूप मनाया जाए। संस्कृति रक्षा मंच ने चेतावनी दी है कि शहर में कहीं भी डांडिया के नाम पर फूहड़ता होने पर उनके कार्यकर्ता असामाजिक तत्वों को पुलिस के हवाले करेंगे। ज्ञापन देने वालों में मंच के अध्यक्ष लेखराज सिंह राठौड़, मंत्री कैलाश भाटी, सज्जन सिंह राठौड़, संयोजक दिलीप सिंह गौड, अरुण शर्मा, धर्म सिंह रावत, बिरम सिंह सहित प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मौजूद रहे।

रावत समाज सर्किल कुशलपुरा की कार्यकारिणी का गठन

मसूदा, (निसं)। रावत समाज सर्किल कुशलपुरा की आम मीटिंग श्री बाबा रामदेव मंदिर हीरा राम का बाड़िया में अध्यक्ष प्रभु सिंह की अध्यक्षता में रखी गई जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई रावत समाज सर्कल कुशलपुरा की जगह आवंटन करवाने हेतु सर्व समिति से निर्णय लिया गया की बाबा रामदेव मंदिर के पास जगह आवंटित किया जाने का निर्णय लिया।

कार्यकारिणी की सदस्य शुल्क 2100 निर्धारित की गई है। रावत समाज सर्कल कुशलपुर में कार्यकारिणी का विस्तार निम्न प्रकार से किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्षप्रेम सिंह बाण्यातो का बाडिया,पूनम सिंह कुशलपुरा, विष्णु सिंह कुशलपुरा,डूंगर सिंह हीरारामा का बाड़िया ,महेंद्र सिंह कुशलपुरा सरपंच। उपाध्यक्ष मला चांदा का बाड़िया, लाला चांदा का बाड़िया,जीवण सिंह फौजी कुशलपुरा ,वरिष्ठ महामंत्रीप्रकाश सिह हीरारामा का बाड़िया ,भंवर जी हीरारामा का बाड़िया, महेन्द्र सिंह कुशलपुरा, भागचंद सिंह कुशलपुरा पृथ्वी सिंह कुशलपुरा,महामंत्री गोपाल सिह जेता का बाड़िया, दौलत सिह जेता का बाड़िया, छगन सिह झूठा बाडिया, मंत्री, मुन्ना सिंह सेलोतो बाड़िया जीवन सिह हीरारामा का बाड़िया मिडिया प्रभारीलाल सिंह कुशलपुरा, संगठन मंत्री गोम सिंह सेलोतो बाड़िया, कैलाश सिंह हीरारामा का बढ़िया, मदन सिहं झूठा का बाड़िया, छोटू सिंह सालरमाला, उगमसिह हीरारामा का बाड़िया, मोहन सिह कुशलपुरा, कोषाध्यक्ष, ज्ञान सिहं सालरमाला,सरक्षक लाडू सिह जेता का बाड़िया, गोटू सिंह कुशलपुरा आदि।

मीरा महोत्सव के पोस्टर विमोचन

मेड़तासिटी, (निसं)। भक्त शिरोमणि मीराबाई पैनोरमा के 17 वा स्थापना दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले दो दिवसीय मीरा महोत्सव समारोह को लेकर सोमवार को मीरा पैनोरमा मे उपखंड स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक उपखंड अधिकारी पूनम चोयल की अध्यक्षता मे की गई जिसमे समारोह को शानदार भव्य तथा ऐतिहासिक बनाने हेतु गहन विचार चर्चा की गई और संबंधित समितियां को जिम्मेदारी सौंपी गई।

इस दो दिवसीय समारोह मे 4 और 5 अक्टूबर को रात्रि मे मीराबाई स्मारक मे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी और 5 अक्टूबर को सुबह 10.30बजे से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संत मीराबाई का संगीत एवम् साहित्य पर संगोष्ठी भी आयोजित की जायेगी।जिसमे पद्म श्री सी पी देवल, ब्रजेंद्र कुमार सिंहल, डा. गजेसिंह राजपुरोहित उपस्थित रहेंगे।

वही दो दिवसीय समारोह में रात्रि को पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पद्म श्री अनवर खान सहित केरल के कलाकार द्वारा मीरा नाटिका, दिल्ली के कलाकारों द्वारा भजन, मणिपुर के कलाकारों द्वारा मीरा नृत्य नाटिका सहित गरबा, घूमर, चरी, तेरहताली नृत्य आदि की प्रस्तुतियां दी जाएगी। ये सभी कार्यक्रम संगीत नाटक एकेडमी,नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण जयपुर के सानिध्य मे किया जायेगा।बैठक के दौरान समारोह का बैनर और निमंत्रण पत्र, प्रचार प्रसार की सामग्री पंपलेट का भी विमोचन किया गया।इस बैठक में तहसीलदार एवं सचिव राम सिंह गुर्जर , अधिशाषी अधिकारी पवन मीणा,जय प्रकाश कस्वा, विकास कुमार, उप प्राचार्य बालिका विद्यालय मीरा चौधरी,एडवोकेट कमल कुमार आचार्य, एडवोकेट सत्यदेवसंदू, डा रामरतन लटियाल,नवरतन पवार, देवकिशन पंवार, श्याम सुंदर सिखवाल, सत्यनारायण सुथार, नंदू श्री मंत्री, नरेंद्रसिंह ,दीपक राखेचा, अशोक सांखला, रमेश गुजराती, महेश प्रजापत,अनु बिग बी,पीयूष शर्मा, नरेंद्र सोनी, मनोहर, शोरभ अठावाल, महेंद्र गहलोत इत्यादि सहित अनेक लोग मौजूद थे।

मारू सेन समाज ने सौंपा उपखंड अधिकारी चोयल को सौंपा ज्ञापन

मेडता सिटी । मारू सैन समाज भवन विकास समिति मेड़ता पट्टी के तत्वाधान में सेन भवन में बने मंदिर व भवन में तोड़ फोड़ के सम्बन्ध में रविवार को मेड़ता उपखंड अधिकारी पूनम चोयल को ज्ञापन सोपा गया। पट्टी अध्यक्ष गणपत लाल ने बताया कि सैन समाज का भवन नया दरवाजा हनुमान जी के मंदिर के पीछे आया हुआ है। जिससे हमारे समाज की तरफ से मंदिर में सेवा पूजा करने के लिए राजेश व नन्दकिशोर पुत्र चंपालाल रखे हुवे थे जो भवन में रहते थे। रविवार को सुबह लगभग 8.30 बजे भवन में स्थित मंदिर में गये तो वहां पर हमारे कुलदेवता की मुर्तिया खंडित मिली, पूजन् सामग्री बिखरी मिली तो समाज के लोगो ने पूछताछ करने पर पता चला की मंदिर के पूजारी राजेश, नंदकिशोर एव उनकी पत्नियां मंजू व सोनू ने रात को मिलकर मदिर की मूर्तिया को खंडित कर दी एव हमारे समाज के भवन को भी क्षितग्रस्त कर दिया। मंदिर के पुजारी व उनका परिवार मूर्तियो को खण्डित कर फरार हो गये है। इन लोगों ने हमारी धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाई है हमारे समाज के भवन को क्षितग्रस्त कर दिया है। राजेश व नदकिशोर मंजू व सोनू पूर्व में भी इस भवन में कई बार इस प्रकार की घटना दौरा चुके हे।

मारू सेन समाज के लोग उपखंड अधिकारी चोयल को ज्ञापन सोपते हुवे।

समाज के गणमान्य नागरिकों ने समझाने के भी कई बार प्रयास किये जिसके फलस्वरूप समाज के लोगो को इन्होने झूठे मुकदमे में फसाने की कोशिश की। जिसको लेकर सेन समाज भवन व मंदिर में हुई तोड फोड से हमारा पूरा सेना समाज नाराज हे इसको लेकर मेड़ता उपखंड अधिकारी पूनम चोयल को ज्ञापन सौप कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। इस मौके पर अध्यक्ष गणपत लाल सेन लालचंद सेन पूर्व अध्यक्ष रामनिवास सेन, नीरज सेन , पूर्व केस कला बोर्ड सदस्य माणक सेन , हीरालाल सेन ,सुरेश सेन ,संतोष सेन, लोकेश सेन , रवि सेन , विक्रम सेन, महेश सेन, दिनेश सेन, महावीर सेन, राजू सेन, सुरेश सेन बगड़, मिश्रीलाल सेन, राजू सेन, जीतू सेन, संदीप सेन, दिलीप सेन मौजूद रहें

मातृभाषा उन्नित का मूल आधार:स्वामी भगत प्रकाश

ब्यावर (निसं) मातृभाषा सीखना अति आवश्यक है यह उन्नित और सफलता का मूल आधार है। उक्त विचार श्री प्रेम प्रकाश मंडल अमरपुर के मंडलाध्यक्ष सद्गुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज ने राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली व भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास के तत्वाधान में आयोजित सिंधी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स व एडवांस डिप्लोमा कोर्स के उद्घाटन पश्चात पुस्तक वितरण पर शिक्षार्थियों को आशीर्वाद देते हुए व्यक्त किये।

स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज ने ब्यावर नगर में 13 कक्षा के संचालन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि जिसे अपनी मातृभाषा आती है उसे अन्य भाषाएं सीखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें समय अनुसार हिंदी,अंग्रेजी व अन्य भाषाएं भी सीखनी पड़ती है किंतु मातृभाषा बचपन से ही आनी चाहिए प्रत्येक माता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अपनी भाषा अवश्य सिखाए।कार्यक्रम में समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष व भारतीय सिंधु सभा के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण दास गुरनानी ने बाल संस्कार शिविरों पश्चात अधिगम पाठ्यक्रम की कक्षाओं के संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त की।सिंधी अधिगम पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी सिंधी कक्षाओं के सुपरवाइजर दिलीप ज्ञानचंदानी ने बताया कि ब्यावर नगर में संचालित 7शिक्षा केंद्रों पर विभिन्न कोर्स में 196 बच्चे सिंधी लिखना व पढ़ना सीखेंगे कार्यक्रम का संचालन करते हुए सिंधी शिक्षा मित्र कमल चचलानी ने बताया कि सिंधी कक्षाओं का सामूहिक उद्घाटन किया गया व 1अक्टूबर से नियमित शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा।

राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली व भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास के तत्वाधान में समारोह आाोजित हुआ।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

न.नि.अ/22-23/932 — दिनांक: 15/07/22

आपत्ति सूचना

श्री निर्मल टांक पुत्र श्री संतोष टांक निवासी बी 666 प्रगति नगर कोटड़ा अजमेर द्वारा एक सम्पति संख्या 23 जो खसरा नं. 599, 600/911, 598, 601 व 1094/658 की भूमि का भाग है जिसका सम्पति संख्या 4/19 है जो वाकै नौसर अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 150.12 व. मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार हैं।

पूर्व - आम रास्ता — पश्चिम - आम रास्ता

उत्तर - भूखण्ड संख्या 22 व 24 — दक्षिण - आम रास्ता

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ग्राम नौसर योजना के आवासीय भूखण्ड सख्या 38 क्षेत्रफल 245 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति श्रीमती गुलाव देवी पत्नि मुरारी लाल गुप्ता निवासी 57 पलटन बाजार अजमेर की मृत्यु दिनांक 25/12/2023 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसो क्रमशः (1) मुरारी लाल गुप्ता पुत्र मथुरा प्रसाद (2) श्रीमती शैलेश बंसल पुत्री मुरारी लाल गुप्ता पत्नि निरंजन कुमार बंसल अजमेर (3) श्रीमती सविता गर्ग पुत्री मुरारी लाल गुप्ता पत्नि विष्णु गर्ग भरतपुर (4) राकेश कुमार गुप्ता (5) महेश कुमार गुप्ता पुत्रगण मुरारी लाल गुप्ता निवासी 57 पलटन बाजार अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार (1) राकेश कुमार गुप्ता (2) महेश कुमार गुप्ता पुत्रगण मुरारी लाल गुप्ता निवासी 57 पलटन बाजार अजमेर के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्रदिनांक 12/9/2024 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.

क्रमांक/नपाबि./भूमि/2024/3158 — आम सूचना — दिनांक: 30/09/2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने कृषि भूमि पर बसी निम्न कोलोनियों में कृषि भूमि नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगें। अतः इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजो/प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	पत्रावली नं.	आवेदक का नाम	योजना/ग्राम का नाम	खसरा सं.	भू.सं.	क्षेत्र
1.	23	अंजना देवी पोखरणा/ कमलेश कुमार पोखरणा	कृष्ण सुदामा नगर	57/1182/5, 57/4, 63/3	03	125.00 वर्गगज

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

मैसर्स सिगमा मिनरल्स

मुख्य कार्यालय भूखण्ड संख्या एफ-49 रीको ओद्योगिक क्षेत्र बिदियाद जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान-341542

आम सूचना

मैसर्स सिगमा मिनरल्स जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जिला उद्योग केन्द्र नागौर में पंजीकृत है जिसका रजिस्ट्रेशन नं. RF/NGR/2018/3912 है, फर्म का हेड ऑफिस प्लॉट नं. एफ-49 रीको ओद्योगिक क्षेत्र बिदियाद तहसील परवतसर जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान में है। मैसर्स सिगमा मिनरल्स में भागीदार नं. 1 गिरधारी राम पुत्र श्री बिरदीचन्द गहलोत निवासी वॉर्ड नं. 17, रेल्वे स्टेशन के पास, छोटी खाटू, तहसील डीडवाना, भागीदार नं. 2 पूनमचन्द बिशनोई पुत्र श्री रामदेव बिशनोई निवासी वार्ड नं. 13 ग्राम मोखमपुरा, जिवादिया तहसील मकराना व भागीदार नं. 3 नरेन्द्र सिंह रत्लू पुत्र श्री देवी सिंह निवासी ग्राम मोखमपुरा, जिवादिया तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान है। भागीदार नं. 2 पूनमचन्द बिशनोई पुत्र श्री रामदेव बिशनोई निवासी वार्ड नं. 13 ग्राम मोखमपुरा, जिवादिया तहसील मकराना, अपनी स्वेच्छा से दिनांक 26.09.2024 को इस फर्म से रिटायर हो रहे है तथा गिरधारी राम पुत्र श्री बिरदीचन्द गहलोत व नरेन्द्र सिंह रत्लू पुत्र श्री देवी सिंह कंटीन्यू भागीदार है। किसी आम जन को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के सात दिवस के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जिला उद्योग केन्द्र नागौर में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

NAME CHANGE

I CHANGED MY NAME FROM JEETU TO JEETU ISRANI. IN FUTURE I RECOGNIZED by JEETU ISRANI for all Purposes. Satguru Colony, Ajay Nagar, AJMER 7737044931

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही व वास्तविक नाम CHAUDHARI KRUSHIL KUMAR PRAKASH BHAI है व पिता का CHAUDHARI PARKASH BHAI, माता का SUNITA BEN जबकि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पुत्र का KRUSHIL KUMAR, पिता का C.P.BHAI, माता का PINKI BEN दर्ज है जो गलत है। मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में पुत्र, पिता व माता का सही व वास्तविक नाम दर्ज करे। चौधरी प्रकाश भाई, बोकावास, डपार्ट महसाणा गुजरात, 24 फिल्ड ईएमई, मार्फत 56 एपीओ, केन्ट नसीराबाद

कार्यालय पंचायत समिति हुरड़ा, जिला - भीलवाड़ा

क्रमांक-934 — दिनांक 25/9/24

निविदा सूचना 2024-25 (06)

पंचायत समिति हुरड़ा की और से विभिन्न कार्यो हेतु राजकीय एवं मान्यता प्राप्त पंजिकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित विकास कार्यो की मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धी सभी शर्ते कार्यालय समय में पंचायत समिति हुरड़ा में देखी जा सकती है।

UBN No. ZBL2425WSOBO1263, ZBL2425WSOBO1261 ZBL2425WSOBO1265, ZBL2425WSOBO1262 ZBL2425WSOBO1251

NIB No. ZBL2425A0603, ZBL2425A0601, ZBL2425A0604, ZBL2425A0602, ZBL2425A0596

विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरड़ा

NAME CHANGE

I, E RADHA is spouse of Army No. 15173110Y, Rank:- HAV (TA), Name:- ELIDANDLA RAMAMOHAN REDDY, Residing At Vill:- BOMMAKUNTAPALLI, Po:- B PAPPURU, Tehsil:- SINGANAMALA, Dist:- ANANTAPUR, State:- ANDHRA PRADESH, Pin:- 515425 have change my Name from E RADHA to ELIDANDLA RADHA vide Affidavit No. BW 248573 Dated 29/09/2024 before Court campus Nasirabad

---

कार्यालय पंचायत समिति कोटडी जिला शाहपुरा

क्रमांक-पेसकों/निविदा/2024-25/398 — दिनांक 30/9/24

ई-निविदा सूचना 2024-25/03

पंचायत समिति कोटडी की अधीनस्थ वर्ष 2024-25 हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की अन्य योजना हेतु विभिन्न निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में विभिन्न राजकीय एवं मान्यता प्राप्त पंजिकृत संवेदको से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विस्तृत विवरण WWW.SPPP.RAJASTHAN.GOV.IN एवं WWW.EPROC.RAJASHTHAN.GOV.IN पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

NIB No. - ZBL2425A0608

UBN No. - ZBL2425WSOB01299 to ZBL2425WSOB01319

आम सूचना

मैं मेरे पक्षकार भागचन्द बैरवा पुत्र श्री हरी राम बैरवा, उम्र लगभग-28 वर्ष, जाति-बैरवा, पता- बैरवा मोहल्ला, पिपलिया, खायड़, अजमेर (आधार कार्ड नम्बर-890477808403) की तरफ से हर आम व खास को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार की माता स्वर्गीय श्रीमति बादाम देवी पत्नि स्वर्गीय श्री हरी लाल बैरवा के नाम से फार्म टेक ट्रेक्टर संख्या- RJ01RB5581 है। मेरे पक्षकार की माता का निधन दिनांक-08/02/2023 को हो गया है। मेरा पक्षकार उक्त फार्म टेक ट्रेक्टर संख्या- RJ01RB5581 को स्वंय के नाम आरटीओ अजमेर में करवाने की कार्यवाही कर रहा है। यदि किसी को भी उक्त कार्यवाही पर आपत्ति हो तो उक्त सूचना की दिनांक से 07 दिन के भीतर आपत्ति जाहिर करे दसके बाद किसी भी आपत्ति को नहीं सुना जायेगा। सो सूचित रहे।

अजमेर — भवदीय

दिनांक - 29/09/2024 (ओम नारायण पालड़िया) एडवोकेट

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल: अजमेर

क्रमांक: 704 — दिनांक: 11-07-2024

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 2/11 किशनगढ़ योजना में श्री रामस्वरूप लद्दा पुत्र श्री किशन गोपाल को आवंटित कर दिनांक 04.09.1985 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री रामस्वरूप लद्दा पुत्र श्री किशन गोपाल ने आवास का बैचान जरिए इकरारनामा, मुख्तारनामा, वसीयतनामा श्रीमती विदाम देवी पत्नी श्री मातादीन को कर दिया गया। मण्डल द्वारा श्रीमती विदाम देवी पत्नी श्री मातादीन के पक्ष में दिनांक- 31.03.2003 को नियमितिकरण के आदेश जारी किये गये। श्रीमती विदाम देवी पत्नी श्री मातादीन द्वारा दि. 01.04.2003 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीयन करवा लिया गया हैं। श्रीमती विदाम देवी की मृत्यु दिनांक 27.11.2022 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री कमल किशोर पंवार पुत्र श्री मातादीन पंवार द्वारा मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। श्रीमती रेखा पंवार सरसिया पत्नी श्री गिरीश सरसिया द्वारा उक्त आवास के 1/5 हिस्सा का अधिकार प्रलेख श्री मातादीन पुत्र स्व. श्री गंगा राम के पक्ष में निष्पादित किया गया श्री कमल किशोर पंवार पुत्र श्री मातादीन पंवार के पक्ष में श्री मातादीन पुत्र स्व. श्री गंगा राम, श्रीमती सरोज पंवार पत्नी श्री अशोक कुमार ओलानिया (पुत्री श्री मातादीन पंवार) श्रीमती रेखा पंवार सरसिया पत्नी श्री गिरीश सरसिया (पुत्री श्री मातादीन पंवार) जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री मातादीन पुत्र स्व. श्री गंगा राम, श्री विक्रम पंवार पुत्र श्री मातादीन पंवार द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब श्री कमल किशोर पंवार पुत्र श्री मातादीन पंवार ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर आवास का आवंटन स्वयं के नाम हस्तांतरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री कमल किशोर पंवार पुत्र श्री मातादीन पंवार का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ग्राम कोटड़ा ज्ञान विहार कॉलोनी योजना के आवसीय/व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 482 क्षेत्रफल 138.89 वर्ग गज खसरा नं. 807 आवंटी/अन्तरिति स्व. दीपक अग्रवाल पुत्र स्व. राधे श्याम अग्रवाल निवासी T-16 शास्त्री नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 25/5/2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (पंजीकृत/अपंजीकृत दिनांक 21/5/21) संलग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु श्रीमती प्रियंका अग्रवाल पत्नि स्व. दीपक अग्रवाल निवासी T-16 शास्त्री नगर अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ग्राम कोटड़ा ज्ञान विहार कॉलोनी योजना के आवसीय/व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 467 क्षेत्रफल 200 वर्ग गज खसरा नं. 822 आवंटी/अन्तरिति स्व. दीपक अग्रवाल पुत्र स्व. राधे श्याम अग्रवाल निवासी T-16 शास्त्री नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 25/5/2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (पंजीकृत/अपंजीकृत दिनांक 21/5/21) संलग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु श्रीमती प्रियंका अग्रवाल पत्नि स्व. दीपक अग्रवाल निवासी T-16 शास्त्री नगर अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ग्राम कोटड़ा ज्ञान विहार कॉलोनी योजना के आवसीय/व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 466 क्षेत्रफल 220 वर्ग गज खसरा नं. 822 आवंटी/अन्तरिति स्व. दीपक अग्रवाल पुत्र स्व. राधे श्याम अग्रवाल निवासी T-16 शास्त्री नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 25/5/2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (पंजीकृत/अपंजीकृत दिनांक 21/5/21) संलग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु श्रीमती प्रियंका अग्रवाल पत्नि स्व. दीपक अग्रवाल निवासी T-16 शास्त्री नगर अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा जो कि नगर परिषद ब्यावर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर राजस्थान की सीमा में स्थित राजस्व ग्राम नयानगर में स्थित भूमि खसरा नं 1916 में विकसित स्थित स्वीकृत श्री सुख सागर नगर, जवाजा मार्ग, नयानगर, ब्यावर में स्थित आवासीय पट्टाशुदा प्लाट नं 01 का पश्चिमी भाग जिसको प्रा. प्लाट नं 01 सी कहा गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 100 वर्गगज है पर निर्मित दो मंजिला आर.सी.सी पोश जायदाद मय छत सहित मय भूखण्ड की मिल्कियत सहित मय बिजली पानी कनेक्शन मय बिजली पानी फिटिंग सहित के बेचान नामा दिनांक 15.06.2020 के पहले के असल कागजात जैसे बेचान नामा दिनांक 02.02.2015 व बेचान नामा दिनांक 05.04.2018 मेरे द्वारा फोटो कॉपी कराकर आते समय अजमेरी गेट के आस पास पर कहीं गिर गये है तथा काफी ढूंढने से भी नहीं मिले है। जिस किसी को मिले कृपया सूचित करे।

भवदीय-श्री दुदाराम उम्र करीबन 49 वर्ष सुपुत्र श्री किशनाराम जी हा जाति जाट निवासी बिरामपुरी, मोहराई, जैतारण, पाली, राजस्थान।

AADHAR NUMBER :- 9760 4387 2307

MOBILE NUMBER :- 9001242793

AU SMALL FINANCE BANK

Registered Office : 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on **07 Oct 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time)** at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

BANSWARA - 23660002354118 | **BASSI** - 24660000511686 | **BHILWARA** - 23660002368872 | **BIKANER** - 24660000441167 | **CHITTORGARGH** - 23660002377874 | **JAIPUR - QUEENS ROAD** - 23660002332270 | **JAIPUR-TRIVENI NAGAR** - 23660002362433 | **JODHPUR ITI CIRCLE** - 23660002352552 | **KOTA -GHODE WALA CIRCLE** - 23660002351523 23660002391587 | **RATANGARH** - 23660002400013 | **SAGWARA** - 23660002381236 | **UDAIPUR - MADHUBAN** - 23660001360643 23660002004028 24660000921674 |

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

Sd/-
Manager
AU Small Finance Bank Limited

कार्यालय नगरपालिका मण्डल नावां शहर जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)

टेलीफैक्स :– 01586–263157 ई–मेल :– npnawa@gmail.com

क्रमांक :– न.पा.नावां / 2024–2025 / 1546 — दिनांक:– 27.09.2024

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है निम्न वर्णित आवेदक द्वारा कृषि भूमि नियमन,भवन निर्माण अनुज्ञा,नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें नियमानुसार कार्यवाही की जानी है । अतः कृषि भूमि नियमन,भवन निर्माण अनुज्ञा,नामान्तरण जारी किये जाने हेतु यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

क्र. सं.	आवेदक पिता/पति का नाम मय पता	भूखण्ड के आस–पड़ोस				प्रयोजन
		उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	
01	श्रीमति रुकमा कुमावत पत्नि सुमेर चन्द जाति कुमावत निवासी रेल्वे स्टेशन के पास शहीदपुरा गुढा साल्ट नावां	मंगला राम की भूमि	आम रास्ता 20 फीट	आम रास्ता	रामनिवास जाट का भूखण्ड	वाणिज्यिक
02	श्री ओमप्रकाश पुत्र हनुमान राम निवासी बोडियो की ढाणी खारडिया तहसील नावां	प्लाट नं. 01	नावां कुचामन रोड	दुकान नं. 03	दुकान नं. 01	वाणिज्यिक
03	श्री मंगना राम पुत्र मुन्ना राम निवासी टोरडा तहसील कुचामन	प्लाट नं. 01	नावां कुचामन रोड	दुकान नं. 02	अन्य भूमि	वणिज्यिक
04	श्रीमति सुप्यार देवी पत्नि लक्ष्मणराम निवासी पुरानी रेल्वे स्टेशन वार्ड नं. 04 नावां	भूखण्ड सं. 149	भूखण्ड सं. 145	रास्ता 30 फीट	भूखण्ड सं. 148	आवासीय
05	श्री महावीर शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी पुरानी रेल्वे स्टेशन वार्ड नं. 04 नावां	बंशीजी मीणा का मकान	आम रास्ता 25 फीट	नरेश शर्मा का मकान	गंगाधर स्वामी का मकान	आवासीय
06	श्रीमति सन्तोष देवी पत्नि मदनलाल निवासी पुरानी रेल्वे स्टेशन नावां	भूखण्ड सं. 121	रतनलाल का मकान	आम रास्ता 50 फीट	सीताराम का मकान	आवासीय
07	श्री अनिल कुमार पुत्र भंवरलाल निवासी कांसेडा तहसील नावां	कुचामन जयपुर रोड	भूखण्ड सं. 08	भूखण्ड सं. 02	अन्य भूमि	वाणिज्यिक
08	कल्लाराम गुर्जर पुत्र श्योजीराम गुर्जर निवासी वार्ड नं. 04 नावां	प्लाट नं. 25	आम रास्ता	प्लाट नं. 29 व 30	प्लाट नं. 26	आवासीय
09	मन्जू पत्नि नेमीचन्द कुमावत निवासी सांभर का रास्ता वार्ड नं. 20 नावां	प्लाट नं. 04	आम रास्ता 20 फीट	आम रास्ता 20 फीट	प्लाट नं. 05	आवासीय
10	श्रीमति शारदा देवी पत्नि गोपाललाल निवासी तिलक नगर वार्ड नं. 25 नावां	नानूराम वगैरह की जमीन	आम रास्ता 20 फीट	श्रवण लाल का भूखण्ड	छोटी देवी का भूखण्ड	आवासीय
11	श्री कल्लाराम गुर्जर पुत्र श्योजीराम गुर्जर निवासी आउ तहसील रुपनगढ हाल निवासी वार्ड नं0 04 नावां	रास्ता 17 फीट	प्लाट नं.27	प्लाट नं. 28	प्लाट नं. 24	आवासीय
12	श्री कल्लाराम गुर्जर पुत्र श्योजीराम गुर्जर निवासी आउ तहसील रुपनगढ हाल निवासी वार्ड नं0 04 नावां	प्लाट नं. 25	रास्ता 20 फीट	प्लाट नं. 29	प्लाट नं. 26	आवासीय
13	श्री बोदूराम पुत्र हजारी राम निवासी आउ तहसील रुपनगढ हाल निवासी वार्ड नं0 24 नावां	रास्ता 30 फीट	बृजमोहन शर्मा की भूमि	प्लाट नं. 10	प्लाट नं. 12	आवासीय
14	श्री ओमप्रकाश पुत्र हजारी राम निवासी वार्ड नं0 06 नावां	प्लाट नं. 05	प्लाट नं. 03	रास्ता	श्योनाथजी खटीक का खेत	आवासीय
15	श्री नरेश कुमार चौधरी पुत्र प्रेमाराम चौधरी निवासी खोखरो की ढाणी वार्ड नं. 02 नावां	सीताराम जान्दू का मकान	जितेन्द्र जाट का मकान	रास्ता 20 फीट	मोतीराम जान्दू का मकान	आवासीय
16	श्री निशिकान्त पुत्र राजेन्द्र कुमार छीपा निवासी सीनियर गर्ल्स स्कून के पास गौरज चौक नावां	रास्ता 30 फीट	प्लॉट नं. 02	रास्ता 30 फीट	मदनलाल शर्मा का मकान	आवासीय
17	श्री राजकुमार पुरोहित पुत्र शिवरतन पुरोहित निवासी रेल्वे साइडिंग के पास वार्ड नं. 01 नावां	खसरा सं. 564 की भूमि	भंवर कंवर व नगरपालिका की भूमि	सावरमल की जमीन	रास्ता 25 फीट	नामान्तरण
18	श्री राजकुमार पुरोहित पुत्र शिवरतन पुरोहित निवासी रेल्वे साइडिंग के पास वार्ड नं. 01 नावां	खसरा सं. 544	खसरा सं. 541	खसरा सं. 541	आम रास्ता 40 फीट	नामान्तरण
19	श्रीमति रामेश्वरी देवी पत्नि भंवरलाल निवासी वार्ड नं. 23 नावां	आम रास्ता	अन्य की जमीन	अन्य की जमीने	आम रास्ता	भवन निर्माण अनुज्ञा
20	श्रीमति सुशीला पत्नि गोपाल सिंह HDFC बैंक के पास नावां	प्रशान्त मान्धना व दिनेश जैन का भूखण्ड	आम रास्ता	ललित जैन का मकान	आम रास्ता	भवन निर्माण अनुज्ञा

राज.संवाद / सी / 24 / 5884 — अधिशाषी अधिकारी